संख्या- 11/2023/308003/2023/63-व0उ0-2023

प्रेषक,

सत्येन्द्र प्रताप सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग लखनऊः दिनांकः 26 अप्रैल, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-6 लेखाषीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग,001 निदेशन तथा प्रशासन,03 अधिष्ठान व्यय की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियन्त्रक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, कानपुर के पत्र संख्या-02/ह0क0-वित्त-बजट/2023-24 दिनांक 06-04-2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-6 (राजस्व लेखा) लेखाषीशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग,001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 अधिष्ठान व्यय (हथकरघा निदेशालय) के लिये बजट प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-6 (राजस्व लेखा) लेखार्शीषक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग,001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 अधिष्ठान व्यय (हथकरघा निदेशालय) के लिये बजट प्राविधान के सापेक्ष निम्नलिखित मदों के अनुसार वित्तीय स्वीकृति धनराशि रू0 3346.83 लाख (रूपया तैतीस करोड़ छियालिस लाख, तिरासी हजार मात्र) को आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतें हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	मानक मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु निर्गत की जा रही धनराशि
1	01-वेतन	2035.29	2035.29
2	02-मजदूरी	5.50	5.50
3	03-मंहगाई भत्ता	915.88	915.88
4	04-यात्रा व्यय	13.00	13.00
5	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3.00	3.00
6	06-अन्य भत्ते	1.60	1.60
7	07-मानदेय	0.50	0.50
8	08-कार्यालय व्यय	16.00	16.00
9	09-विद्युत व्यय	12.00	12.00
10	10-जलकर/जल प्रभार	0.05	0.05
11	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	8.00	8.00
12	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	12.00	12.00
13	13-टेलीफोन पर व्यय	3.50	3.50
14	15-गाड़ियो का अनुरक्षरण और पेट्रोल आदि की खरीद	25.00	25.00
15	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3.00	3.00
16	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	15.41	15.41

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

17	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	5.00	5.00
18	26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	5.00	5.00
19	29-अनुरक्षण	7.00	7.00
20	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.50	1.50
21	45-अवकाश यात्रा व्यय	0.80	0.80
22	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	12.00	12.00
23	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	9.00	9.00
24	49-चिकित्सा व्यय	60.00	60.00
25	51-वर्दी व्यय	0.80	0.80
26	55-मकान किराया भत्ता	145.00	145.00
27	58-आऊट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	31.00	31.00
	योग - 001-निदेशन तथा प्रशासन	3346.83	3346.83

कुल धनराशि रू0 3346.83 लाख (रूपया तैतीस करोड़ छियालिस लाख, तिरासी हजार मात्र)

3- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित शर्तो के अधीन किया जायेगा। उक्त व्यय अनुदान संख्या-6 के लेखाशीर्षक-2851 ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय (हथकरघा निदेशालय) के नामें डाला जायेगा।

4- उक्त स्वीकृति में से जिन मामलों में वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। कृपया उक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

5- उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि का सदुपयोग करने का उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निदेशक हथकश्रधा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा।

भवदीय,

(सत्येन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

संख्या- 11/2023/308003(1)63व030-2023 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
3- अनु सचिव, वित्त, ई-6 अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अनु सचिव, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।